15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 824-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-2-2008 - पारित द्वारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 117/2007-08 निगरानी

ददई कुम्हार पुत्र छद्दारी कुम्हार
ग्राम भदौरा तहसील कुसमी जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

रामसखा उर्फ रामशरण कलार पुत्र संपति कलार
ग्राम भदौरा तहसील कुसमी जिला सीधी ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.एस.कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11-2017 को पारित)

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 117/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-2-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त पोड़ी तहसील कुसमी को आवेदन देकर ग्राम भदौरा की आराजी क्रमांक 941 रकबा 0.13, आराजी क्रमांक 946/1 रकबा 0.64 तथा 947 रकबा 0.27 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 हैक्टर (आगे जिसे विवादित भूमि अंकित किया गया है) के व्यवस्थापन की मांग की । नायव तहसीलदार पोड़ी ने प्रकरण क्रमांक 48 अ-19 (4) /1999-2000 पॅजीबद्ध किया तथा

आदेश दिनॉक 26-4-2000 पारित करके विवादित भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण क्रमांक 141/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2007 से भूमि व्यवस्थापन नियम एंव प्रकिया के अनुकूल न पाने के कारण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 117/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-2-2008 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक के आवेदन पर नायव तहसीलदार पोड़ी ने प्रकरण क्रमांक 48 अ-19 (4) /1999-2000 पॅजीबद्व करके आदेश दिनॉक 26-4-2000 से विवादित भूमि अथार्त कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 हैक्टर का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किया है। म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अनुसार भूमि व्यवस्थापन हेतु म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल व्दारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत केवल 0.50 हैक्टर भूमि तक का व्यवस्थापन किया जा सकता है । नायव तहसीलदार ने कुल रकबा 1.04 हैक्टर का व्यवस्थापन करके नियम विरूद्व कार्यवाही करते हुये आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया है जिसके कारण अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2007 से नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा नें आदेश दिनांक 11-2-2008 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2007 के पद 5 में विवेचना करते हुये निष्कर्ष दिया है कि विवादित भूमि खसरे एंव अन्य शासकीय अभिलेख में " आवासीय " मद के लिये सुरक्षित है। तात्पर्य यह है

कि आवासीय मद की भूमि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 सहपठित 234 के अंतर्गत काविलकास्त घोषित कराये बिना आवंटित/ व्यवस्थापित नहीं की जा सकती, किन्तु नायव तहसीलदार पोड़ी ने प्रकरण कमांक 48 अ-19 (4) /1999-2000 में पारित आदेश दिनॉक 26-4-2000 से आवेदक के हित में उक्त भूमि व्यवस्थापित की है जिसके कारण नायव तहसीलदार का आदेश नियम विरूद्व होने से शून्यवत् है और ऐसे त्रृटिपूर्ण एंव नियम विरूद्व आदेश को अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2007 से ठीक ही निरस्त किया है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा नें आदेश दिनांक 11-2-2008 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 117/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-2-2008 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर